

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स कानून और नियम प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा सरकार के स्तर पर प्रशासित है। विभाग आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समग्र नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिये संचालक होता है। विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 15 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख संभागीय उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत 80 वृत्त कार्यालय एवं 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय हैं। वाणिज्यिक कर जिसमें विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, व्यवसाय कर तथा विलासिता कर सम्मिलित है, का आरोपण एवं संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है:

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक अंग है और यह विभागीय निर्देशों, नियमों और कानून को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था को दुरुस्त और अच्छी सेवाएं, कर अपवंचन की संभावनाएं, अधिक वापसी को रोकना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद करता है। लेखापरीक्षा जांच में वाणिज्यिक कर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के साथ साथ कर अपवंचन के खिलाफ निगरानी के पहलू, टैक्स की अतिरिक्त धन की वापसी और इनपुट टैक्स छूट (आईटीआर) की रोकथाम का तंत्र अनुपस्थित था। जो कि आंतरिक नियंत्रण ढांचे में एक व्यापक अंतर का संकेत दर्शाता है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर/वैट से संबंधित 133 में से 121 इकाइयों में अंतर्निहित कर राशि ₹ 11493.59 करोड़ के अभिलेखों की नमूना जांच में 863 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 161.73 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ, दृष्टिगत हुई जिन्हें निम्न श्रेणियों में तालिका 2.1 में वर्गीकृत किया जा सकता है :

तालिका 2.1

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत “आगत कर रिबेट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	58.84
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	236	24.88
3..	कर की गलत दर का लागू किया जाना	181	8.09
4.	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	97	12.42
5.	मुजराई/कटौती/कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	129	25.08
6.	अन्य अनियमिततायें	219	32.42
	कुल	863	161.73

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा टैक्स के आंकलन व अन्य अनियमितताओं में बताया गए ₹ 6.48 करोड़ के 262 मामलों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया तथा उसमें से 17 मामलों में ₹ 12.00 लाख की वसूली की सूचना दी ।

“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत “आगत कर रिबेट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कुल ₹ 58.84 करोड़ की आपत्ति थी जिसमें से ₹ 15.22 करोड़ की आपत्ति के कुछ उदाहरण की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की जा रही है ।

2.4 “मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत “आगत कर रिबेट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रमुख विशेषताएँ

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और नियम, आगत कर रिबेट के प्रावधानों कि कमियों और प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 115 मामलों में ₹ 16.97 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित छूट ।

(कंडिका 2.4.8.1 से 2.4.8.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन किये बिना छह डीलरों के छह मामलों में खरीद के ब्योरे के बिना पुष्टि किये राशि ₹ 3.69 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनुमति प्रदान की ।

(कंडिका 2.4.8.5)

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(क) के दिशा निर्देशों के अनुरूप रिटर्न दाखिल किये बिना 26 डीलरों द्वारा 28 मामलों ₹ 2.28 करोड़ का अमान्य आगत कर रिबेट ।

(कंडिका 2.4.8.6)

खरीद के बिल/खरीद विवरण/खरीद सूची के अभाव में 77 डीलरों के 78 मालों में ₹ 29.18 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति/अनुमोदन ।

(कंडिका 2.4.9)

19 डीलरों के 19 मामलों में पिछले वर्ष के आईटीआर ₹ 1.81 करोड़ अनियमित रूप से अगले वर्ष में समायोजित किया गया हालांकि चालू वर्ष में डीलरों द्वारा अपनी पहली तिमाही की विवरणों में आईटीआर का दावा नहीं किया गया था ।

(कंडिका 2.4.10.1)

13 डीलरों के 13 मामलों में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14(6) के तहत आगत कर के लिए अपात्र मात्र की खरीद पर ₹ 2.40 करोड़ के आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.1 से 2.4.11.3)

विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर 13 डीलरों के 13 मामलों में राशि ₹ 26.65 लाख शास्ति राशि ₹ 38.65 लाख के आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.4)

नौ डीलरों के नौ मामलों में राज्य से बाहर, बिक्री के स्थान पर, स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किये गए माल पर शास्ति राशि ₹ एक करोड़ सहित ₹ 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.5)

2.4.1 प्रस्तावना

टैक्स प्रशासन में अधिक दक्षता, कराधान प्रणाली में व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का समान अवसर लाने और निष्पक्षता के उद्देश्य से एक से अधिक पॉइंट्स पर टैक्सेशन के लिए वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) मध्य प्रदेश में शुरू (2006) की गई थी । वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रशासन के वातावरण में आगत कर रिबेट (आईटीआर) महत्वपूर्ण घटकों में से एक है ।

आगत कर रिबेट तंत्र

आईटीआर के शास्ति प्रावधानों मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 14 में निहित है । अधिनियम बिक्री के हर बिन्दु पर लेवी और मध्य

प्रदेश में वैट के संग्रह को नियंत्रित करता है। वे उपभोक्ता तक पहुँचने तक माल विनिर्माण और विवरण श्रृंखला में विभिन्न चरणों के माध्यम से गुजरती है। प्रत्येक स्तर पर, कुछ मूल्य जोड़ा गया है। वैट की बिक्री पर देय टैक्स के खिलाफ खरीद पर भुगतान कर के लिए *सेट ऑफ* या छूट देने के लिए प्रावधान है। एक पंजीकृत डीलर मध्य प्रदेश राज्य के भीतर कर योग्य वस्तुओं की बिक्री के दौरान क्रय डीलर से वैट जमा करता है। इस तरह के पंजीकृत क्रय डीलर, पहले से ही भुगतान कर की छूट के लिए पात्र हो जाता है जिसे आगत कर रिबेट कहा जाता है। आगत कर रिबेट राज्य के भीतर से की गयी खरीद के लिए निर्माताओं के साथ ही व्यापारियों दोनों के लिए दिया जाता है भले ही आगत कर रिबेट का उपयोग कब किया जाएगा। राज्य के बाहर से प्राप्त इनपुट पर भुगतान का आईटीआर के लिए पात्र नहीं है।

आईटीआर प्रासंगिक अवधि के लिए बिक्री पर कुल कर के देयता लिए छूट देना है। असमायोजित आईटीआर दो साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके बाद डीलर को वापस किया जाएगा।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) शीर्ष स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख है। वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रमुख है तथा वाणिज्यिक कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण में वाणिज्यिक कर विभाग काम करता है। जिन्हें निदेशक, अपर आयुक्तों, उपायुक्तों (डीसी), सहायक आयुक्त (एसी), वाणिज्यिक कर अधिकारी (सीटीओ), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसीटीओ) एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा कार्यों के निष्पादन में जो अधिनियम के तहत उन्हें सौंपा जा सकता है सहायता प्रदान की जाती है।

2.4.3 लेखापरीक्षा का विस्तार एवं प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) 2009–10 से 2013–14 के लिए पांच वर्ष की अवधि को शामिल कर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच कर निर्धारण अधिकारी¹ द्वारा किये गए मूल्यांकन के कुल 121 इकाइयों में से 43 इकाइयों² को यादृच्छिक नमूना चयन पद्धति के आधान पर चयन किया गया था और जनवरी 2014 से जुलाई 2014 से के बीच सम्पादित किया गया था। इस दौरान कुल 4320 (100%) मामलों में लेखापरीक्षा की गई। एक प्रवेश सम्मेलन (2014 फरवरी) आयोजित किया गया था, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा की इकाइयों के चयन के साथ ही क्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा मसौदा अगस्त 2014 में सरकार और विभाग को भेजा गया था। अक्टूबर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में

¹ डीसी, एसी, सीटीओ और एसीटी को कर आकलन की शक्ति के साथ निहित किया गया है।

² **सर्किल कार्यालय (24):** भोपाल (2), बुरहानपुर, देवास, धार, ग्वालियर (02), इन्दौर (05), जबलपुर (02), कटनी, खण्डवा, मण्डीदीप, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पीथमपुर, सागर, सेंधवा, वैधन। **क्षेत्रीय कार्यालय (8):** भोपाल (02), देवास, खण्डवा, सागर (02), उज्जैन। **संभागीय कार्यालय (11):** भोपाल (03), छिन्दवाड़ा, ग्वालियर (1), इन्दौर (03), सतना, सागर और उज्जैन।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के साथ चर्चा की गई । विभाग के विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है ।

2.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गयी थी कि:-

- क्या मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के प्रावधानों के संदर्भ में आईटीआर के दावे की प्रणाली चाहे इसकी स्वीकृति या इसका भुगतान हो का उचित सत्यापन करने के लिए प्रभावी सक्षम तंत्र उपस्थित था;
- क्या वैट अधिनियम में विहित नियमों और क्रियाविधि एवं प्रक्रियाओं तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों; का विवरणी प्रस्तुत करने, आईटीआर के दावों और उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए डीलरों की बिक्री के साथ खरीद के विवरण से सत्यापन का अधिनियम में विहित नियमों और क्रियाविधि ईमानदारी से पालन किया गया और
- क्या आईटीआर के रूप में नुकसान या राजस्व का रिसाव को रोकने के लिए आईटीआर और उसके स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए बिक्री और खरीद के सत्यापन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद है ।

2.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर रहे हैं;

- मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002
- नियम और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, परिपत्रों/छूट अधिसूचना ।

2.4.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति में वाणिज्यिक कर विभाग के सहयोग का आभारी है । इस रिपोर्ट को विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार गया है ।

2.4.7 राजस्व की प्रवृत्ति

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और के तहत वास्तविक प्राप्ति वैट के साथ-साथ वर्ष 2009-10 के दौरान कर प्राप्तियाँ 2013-14 के लिए, **तालिका -2.2** निम्नलिखित में दर्शाया गया है ।

तालिका –2.2

(₹ करोड़)					
वर्ष	सीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियां	वैट	योग	वर्ष के दौरान दावा किया आईटीआर	वर्ष के दौरान आईटीआर स्वीकार करना
2009–10	569.99	7,153.83	7,723.82	लगातार अनुरोध करने के बावजूद विभाग ने आईटीआर दावा तथा स्वीकार करने की जानकारी प्रस्तुत नहीं की	
2010–11	682.72	9,574.04	10,256.76		
2011–12	871.98	11,644.75	12,516.73		
2012–13	857.22	13,999.07	14,856.29		
2013–14	943.48	15,549.89	16,493.37		
कुल	3,925.39	57,921.58	61,846.97		

(स्रोत: मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

दावा एवं भुगतान किये गए आईटीआर पर समेकित सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए दावा किये गए, भुगतान किये गए एवं अगले वर्ष हेतु अग्रेषित आईटीआर के संबंध में राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसके अलावा, विभाग द्वारा अगले वर्ष हेतु अग्रेषित आईटीआर के संबंध में सरकार की कुल देनदारी का आंकलन संभव नहीं हो सका। अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने एवं संकलन के लिए विभाग द्वारा (अक्टूबर 2014) संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार/विभाग को दावा किये गए, भुगतान किये गए एवं अगले वर्ष हेतु अग्रेषित आईटीआर के संबंध में समेकित डेटाबेस का वर्ष वार संकलन सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रणाली में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में कमियों और अनुपालन के लिए प्रणाली में कमियों का पता चला है। महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ पैराग्राफ आगे बताये जा रहे हैं:

2.4.8 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में और आईटीआर के संबंध में नियम में कमियां

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान आईटीआर के भुगतान की व्यवस्था के संबंध में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में कमी और प्रावधान/नियमों के उल्लंघन के 2303 मामले में से 115 मामले परिलक्षित हुए। अप्रैल 2012 और मार्च 2014 के बीच अवधि 2008–09 से 2011–12 के दौरान राशि ₹ 16.97 करोड़ के आईटीआर का विभाग द्वारा भुगतान मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में कमी

और प्रावधान के नियमों के उल्लंघन करने से हुआ जैसा कि परिशिष्ट –I में उल्लेखित है और आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4.8.1 फार्म 10 में विसंगतियां

मध्य प्रदेश वैट नियम (अध्याय—VI) के नियम 21, 22 व 23 के अनुसार हर पंजीकृत डीलर, प्रत्येक तिमाही के लिए उपयुक्त सीटीओ को फार्म 10 में एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप फार्म—10 में आईटीआर दावा के सत्यापन करने के लिए, वस्तु के नाम के कॉलम का उल्लेख नहीं किया गया था, हमने सभी मामलों में आईटीआर भुगतान इस बुनियादी कमी के बिना स्वीकार किया जाना पाया।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग द्वारा बताया गया की वस्तु के नाम का उल्लेख नियमावली के अनुसार वैकल्पिक है।

विभाग के जवाब लेखापरीक्षा अवधि में इस तथ्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फार्म—10 में त्रैमासिक वापसी का प्रारूप में इस तरह के कॉलम नहीं है। चूंकि वैट का भुगतान वस्तु के आधार पर ही सत्यापित होता है अतः आईटीआर दावे के उचित सत्यापन हेतु वस्तु के नाम का उल्लेख करना चाहिए था। हालांकि फार्म—10 में वापसी में वस्तु के नाम का उल्लेख अप्रैल 2014 में विभाग द्वारा वैकल्पिक बनाया गया है।

विभाग द्वारा किये गए और भुगतान किये गए आईटीआर के उचित सत्यापन हेतु वस्तु के नाम को समायोजित करने के लिए त्रैमासिक वापसी के प्रारूप में संशोधन पर विचार करना चाहिए।

2.4.8.2 ₹ 25,000 / 40,000 से नीचे की खरीद के लिए सटीकता की पुष्टि करने के लिए अप्रयोज्य प्रावधान

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और सी टी के निर्देशों के अनुपालन में, डीलर के आगत कर रिबेट के दावे के लिए आवश्यक है की यदि एक डीलर से खरीद का कुल मूल्य अगर ₹ 25,000 को पार करे तो क्रेता व्यापारी को खरीद के व्यापारी—वार ब्यौरा देना आवश्यक है।

1 अप्रैल 2013 से, लेनदेन के संबंध में डीलर वार विवरण की घोषणा के लिए संशोधन किया गया है और बिक्री और खरीद के संबंध में आगत कर रिबेट के लिए ₹ 40,000 और ऊपर के खरीद के ही ब्यौरे विवरणी में देना आवश्यक है।

क्रय डीलर द्वारा खरीद पर सृजित आगत कर रिबेट, उत्पादन पर देय करों के विरुद्ध वापसी योग्य/समायोजन होगा। मूल्य संवर्धन श्रृंखला में सभी आपूर्तिकर्ताओं से एकत्र करों का ब्यौरा केवल ₹ 25,000/40,000 ऊपर के मूल्य की खरीद के संबंध में उपलब्ध होने से डीलरों द्वारा किये गए आगत कर रिबेट की सटीकता को सत्यापित करना विभाग द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार, मौजूदा व्यवस्था के तहत, विभाग वास्तव में सभी लेनदेन के संबंध में आगत कर रिबेट के

संग्रह को सत्यापित करने के लिए सक्षम होने के बिना, आगत कर रिबेट की अनुमति देने के लिए बाध्य है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगत कर रिबेट केवल एकत्र कर के विरुद्ध ही दी जाती है, यह आवश्यक हो जाता है कि, इस प्रकार के लेन देन विक्रेता व्यवसाई द्वारा घोषित बिक्री के साथ भी सत्यापित किये जाएँ । यह भी पाया गया कि आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हो सकने वाले सभी डीलरों के सभी लेन-देन को कोई केन्द्रीकृत डाटा उपलब्ध नहीं था । यदि सभी लेन-देन का केन्द्रीकृत डाटा होता तो क्रय और विक्रय पर लेवी और टैक्स का संग्रह का सत्यापन आगत कर रिबेट प्रदाय करने के पूर्व संभव हो सकता था ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि अधिनियम के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विभाग द्वारा ₹ 25,000 /40,000, से कम खरीद के संदर्भित मामलों में ₹ 16.61 लाख के आगत कर रिबेट की खरीद के सत्यापन के बिना अनुमति दी गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग द्वारा कहा गया कि आगत कर रिबेट की अनुमति देने से पहले सभी बिक्री के लेनदेन और खरीद को सत्यापित करने के लिए मॉड्यूल में संशोधन (अप्रैल 2014) किया गया है ।

विभाग द्वारा एकत्र करों के अनुरूप आगत कर रिबेट प्रदाय करने एवं सत्यापन के लिए, चाहे वह किसी भी मौद्रिक सीमा का हो, के लिए मॉड्यूल में परिवर्तन के उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।

2.4.8.3 ₹ 40,000 से ऊपर की हर खरीद पर क्रॉसड चेक के माध्यम से किए गए भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की अनुपस्थिति ।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (6) (VII) के अनुसार, जहां माल के संबंध में बिल या कॅश ज्ञापन जिसकी राशि ₹ 40,000 से अधिक है और जो कि क्रॉसड चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, आगत कर रिबेट प्रदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

हमने पाया कि, यह अधिनियम में प्रवाधित है लेकिन अभी तक ₹ 40,000 की हर खरीद के भुगतान को क्रॉसड चेक द्वारा सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है । इस कारण संदर्भित मामलों में आईटीआर की स्वीकृति की गयी जबकि ₹ 40,000 की हर खरीद के भुगतान को क्रॉसड चेक के माध्यम से नहीं किया गया था ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान, विभाग इस तथ्य से सहमत हैं एवं कहा गया कि इस कमजोरी को कम्प्यूटर आधारित मॉड्यूल के माध्यम से दूर किया जाएगा ।

2.4.8.4 बिक्री और खरीद के प्रति सत्यापन के लिए तंत्र की अनुपस्थिति

अधिनियम में निहित प्रावधानों (मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के साथ मध्य प्रदेश वैट नियम, 2006, के नियम 9), के अनुसार और समय-समय पर सीटीडी विभाग द्वारा जारी किए

गए परिपत्रों के अनुपालन में बिक्री और खरीद का प्रति-सत्यापन, और आगत कर रिबेट का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।

हमने बिक्री और खरीद के प्रति-सत्यापन की व्यवस्था की समीक्षा की और पाया कि विभाग द्वारा आगत कर रिबेट के प्रति-सत्यापन की व्यवस्था को शुरू तो किया पर कार्यान्वयन नहीं कर पाया ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया की अधिनियम के प्रावधानों, की अनदेखी, से विभाग द्वारा संदर्भित 115 मामलों में ₹ 16.97 करोड़, बिक्री और आगत कर रिबेट का प्रति-सत्यापन नहीं किया गया था जैसा की परिशिष्ट – I में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान, सी सी टी ने चिंता के साथ सहमति व्यक्त की और बताया कि कर अनुपालन पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और आईटीआर सत्यापन से संबंधित ऐसी कमियों की कम्प्यूटरीकृत मॉड्यूल के माध्यम से सुधारा जा रहा है ।

विभाग को हर खरीद के विवरण को बिक्री विवरण से जोड़ने/प्रति सत्यापन के लिए एक तंत्र को स्थापित करना चाहिए ।

2.4.8.5 निर्देशों के प्रतिकूल आगत कर रिबेट का सत्यापन और स्वीकृति

आगत कर रिबेट के दावे के लिए आवश्यक था कि कर निर्धारण अधिकारियों को उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कुछ मामलों में अनुमति देने के लिए/स्वीकार करने से पहले सत्यापित किया जाना है ।

हमने एक डिवीजन कार्यालय, एक क्षेत्रीय कार्यालय और तीन सर्किल कार्यालयों के छह डीलरों के छह मामलों में अवधि 2010-11 से 2011-12 तक के लिए जनवरी 2013 और जुलाई 2014 के बीच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकरणों की जाँच के दौरान यह पाया कि, उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था की आगत कर रिबेट के दावे को स्वीकार करने से पहले इसका प्रति सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें । संदर्भित मामलों में, कर निर्धारण अधिकारी खरीद के ब्यौरा के संदर्भ में दावा किया आगत कर रिबेट के प्रति सत्यापन के बिना एवं निर्देश का पालन करने में विफल रहे हैं और आगत कर रिबेट स्वीकार किए गए /अनुमति दी गई । परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट के अनियमित भुगतान राशि ₹ 3.69 करोड़ परिलक्षित हुई जैसा कि तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3

(₹ लाख में)					
क्र. न.	इकाई	डीलर, टिन, प्रकरण संख्या	मूल्यांकन की अवधि /महीना	आईटीआर की राशि का दावा और स्वीकार	आईटीआर की राशि आपत्ति
1	2	3	4	5	6
1	सीटीओ वृत्त सागर	मैसर्स बडकुल हार्डवेयर सागर 23657401775 सी.एस.000052142 (7 /2013) (धारा 21)	2010-11 22.07.13	10.64	10.64
2	सीटीओ वृत्त 3 भोपाल	मैसर्स भागवती एंड कम्पनी भोपाल 23103803038 409/12 वैट	2011-12 04.01.14	1.37	1.37
3	आरएसी डी 1 भोपाल	मैसर्स राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल 23099004011 179/11 वैट	2010-11 17.07.13	124.54	124.54
4	सीटीओ वृत्त 2सागर	मैसर्स बटूलाल मोहन लाल नाइट्रेट प्राइवेट लिमिटेड 23656204407,	2010-11	0.98	0.98
5	डीसी सतना	मैसर्स कमल स्टील एंड पॉवर सतना 23697002889 वैट 10/2010	2010-11 30.06.2013	11.81	10.04
6	डीसी सतना	मैसर्स नॉर्दन कोल फील्ड निगाही प्रोजेक्ट सिंगरौली 23507300638 33/11 वैट	2010-11 16.01.2013	797.02	221.52
कुल				946.36	369.09

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.8.6 डीलरों द्वारा कोई रिटर्न दायर नहीं किए गए थे, फिर आगत कर रिबेट की अनुमति दी गयी ।

आगत कर रिबेट के संबंध में कोई दावा पंजीकृत व्यवसायी द्वारा धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत किया जा सकता है कि पंजीकृत विक्रेता व्यवसायी जारी किये गए किसी देयक, बीजक या नगदी ज्ञापन से जिसमें उसके द्वारा संग्रहित किये गए धारा 9 के अधीन कर की रकम का उल्लेख पृथक से ही किया जायेगा, आगत रिबेट के संबंध में ऐसा कोई भी दावा त्रैमासिक प्रपत्र 10 में इस तरह के पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जाएगा ।

हमने एक डिवीजन कार्यालय³ और आठ⁴ सर्किल कार्यालयों में अवधि 2008-09 से 2010-11 के लिए अप्रैल 2010 और सितम्बर 2013 के बीच निर्धारित कुल 1159 मामलों में से 26 डीलरों के 28 मामलों में, पाया की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 2.28 करोड़ के आगत कर रिबेट का अनियमित भुगतान हुआ जबकि डीलरों द्वारा कोई विवरणी दायर नहीं की गए थी। इसे विस्तृत रूप में परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न न प्रस्तुत करने के लिए कड़े दण्डात्मक उपायों को लाने पर विचार करना चाहिए।

2.4.9 खरीद के विवरण के अभाव में आईटीआर की स्वीकृति

आगत कर रिबेट के संबंध में कोई दावा पंजीकृत व्यवसायी द्वारा धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत किया जा सकता है की पुष्टि पंजीकृत विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी किये गए किसी देयक, बीजक या नगदी ज्ञापन से जिसमें उसके द्वारा संग्रहित किये गए धारा 9 के अधीन कर की रकम का उल्लेख पृथक से ही किया जायेगा। आगत कर रिबेट के संबंध में ऐसा कोई भी दावा त्रैमासिक प्रपत्र 10 में इस तरह के पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जायेगा। और यदि उक्त बिल बीजक या नगदी ज्ञापन में विक्रेता पंजीकृत व्यवसायी द्वारा धारा 9 के अधीन कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई जाती है तो ऐसा दावा नहीं किया जायेगा और न ही उसे अनुज्ञात किया जायेगा। और अधिनियम कि धारा 21 (2) के अनुसार, पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहाँ पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के कम से कम तीन गुने की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इसके अलावा प्रमाणित ऑडिट खातों में दिखाए गए क्रय एवं उनके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के सत्यापन के बाद व्यापारियों को आगत कर रिबेट कि अनुमति दी जानी चाहिए।

2.4.9.1 बिल में वैट अलग से नहीं लिया, फिर भी आगत कर रिबेट कि स्वीकृति।

हमने एक डिवीजन कार्यालय⁵, दो क्षेत्रीय कार्यालयों⁶ और आठ सर्किल कार्यालयों⁷ के कुल 1320 मामलों में से 14 डीलरों के 15 मामलों में, पाया कि वैट की राशि ₹ 4.10 करोड़ की खरीद बिलों में अलग से नहीं दर्शायी गयी थी फिर भी डीलरों को आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी गई। परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट के अनियमित दावे/स्वीकृति और प्रदाय के रूप में शास्ति राशि ₹ 2.10 करोड़ सहित राशि ₹ 6.20 करोड़ हुई इसे परिशिष्ट-III में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।

³ सागर

⁴ भोपाल-III, इन्दौर (2), खण्डवा, मुरैना, पीथमपुर, सागर और सेंधवा

⁵ टैक्स ऑडिट विंग भोपाल

⁶ देवास एवं सतना

⁷ भोपाल V, बुरहानपुर, धार, इन्दौर X, जबलपुर II, मण्डीदीप, नरसिंहपुर एवं सागर

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.2 खरीद सूची/बिलों के अभाव में आगत कर रिबेट के अनियमित भुगतान ।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय⁸ और तीन सर्किल कार्यालयों⁹ में अवधि 2009-10 से 2012-13 तक के लिए फरवरी 2012 और मार्च 2014 के बीच निर्धारित कुल 466 मामलों में से 32 डीलरों के 32 मामलों में पाया कि उक्त प्रावधान के विरुद्ध, राशि ₹ 20.71 करोड़ की आगत कर रिबेट की अनुमति खरीद सूची/बिलों के अभाव में डीलरों को दी गयी/स्वीकार की गई । इसका विवरण परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.3 रिटर्न में नहीं दिखाई गयी खरीद पर आईटीआर दिया जाना ।

हमने जबलपुर-II सर्किल कार्यालय में कुल 36 मामलों में से दो डीलरों के दो मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, राशि ₹ 4.03 लाख की आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी गयी जबकि क्रय राशि प्रासंगिक रिटर्न में सत्यापित नहीं होती क्योंकि प्रासंगिक रिटर्न निरंक थे । फलस्वरूप आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप राशि ₹ 6.54 लाख का आगत कर रिबेट राशि ₹ 2.51 लाख शास्ति सहित स्वीकृत किया गया जैसा की तालिका 2.4 दर्शाया गया है :

⁸ भोपाल- I

⁹ धार, इन्दौर- XIII जबलपुर-II

तालिका 2.4

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर प्रकरण क्र. एवं टिन	कर निर्धारण अवधि/माह	कुल दावा किया गया आगत कर रिबेट (स्वीकृत)	आपत्ति किये गए आगत कर रिबेट	सेक्शन 21 के तहत शास्ति की राशि
1	सी टी ओ सर्किल-2 जबलपुर	मेसर्स केशव ट्रेडर्स जबलपुर, 23415905100 727/09 ६अ	2008.09/ 21.4.11	1.25	0.84	2.51
2	सी टी ओ सर्किल-2 जबलपुर	मेसर्स खिलवानी ब्रदर 23055902388 156/10 चैट	2009.10/ 22.11.11	7.24	3.19	0
कुल				8.49	4.03	2.51

निर्गम सम्मलेन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.4 पिछले साल की खरीद पर आईटीआर की अनियमित स्वीकृति

हमने दो क्षेत्रीय कार्यालयों और एक वृत्त कार्यालय में अवधि 2010-11 के लिए मार्च 2013 से अगस्त 2013 के बीच निर्धारित कुल 365 मामलों में से तीन डीलरों के तीन मामलों में पाया कि डीलर को पिछले साल की खरीद पर राशि ₹ 0.69 लाख के आगत कर रिबेट की अनुमति दी गई है । अतः राशि ₹ 2.08 लाख की शास्ति सहित राशि ₹ 2.78 लाख के आगत कर रिबेट के अनियमित दावे स्वीकृति किये गये । यह निम्न तालिका-2.5 में विस्तृत रूप दर्शाया गया है:

तालिका 2.5

(₹ लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का विवरण	डीलर का नाम टिन, प्रकरण क्र.	अवधि/ निर्धारण का माह	आईटीआर की कुल राशि का दावा (स्वीकृत)	स्वीकृत अनियमित आईटीआर की राशि	अधिनियम की धारा 21 के अनुसार शास्ति की राशि	अतिरिक्त मांग की राशि
1	आरएसी खण्डवा	मेसर्स फतेहगुरु गोविन्द सिंह एण्ड कम्पनी 23271908001 323/ 11 (वैट)	2010-11/ 14.08.2013	0	0.25	0.74	0.99
2	आरएसी सागर	मेसर्स गाँधी रीफ्रकरीज 23627802353 193/ 11 (वैट)	2010-11/ 23.03.2013	1.52	0.23	0.68	0.91
3	सीटीओ वृत्त-II ग्वालियर	मेसर्स नमन ग्वालियर 231935404197 सी.एस.00063609 (वैट)	2010-11/ 09.7.2013	136.64	0.22	0.66	0.88
कुल				138.16	0.70	2.08	2.78

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.5 दावा किये गए आगत कर रिबेट के स्थान पर अतिरिक्त राशि के आगत कर रिबेट की अनुमति

हमने एक डिवीजनल कार्यालय¹⁰ और आठ सर्कल कार्यालयों¹¹ 12 में अवधि 2009-10 से 2011-12 तक के लिए जून 2011 और सितम्बर 2013 के बीच के कर निर्धारण प्रकरण के 1,344 मामलों में से 13 डीलरों के 13 मामलों में पाया की डीलरों द्वारा दावा किये गए आगत कर रिबेट की राशि ₹ 7.35 करोड़ थी जबकि डीलरों को ₹ 7.70 करोड़ की आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी । परिणामस्वरूप राशि ₹ 35.20 लाख आगत कर रिबेट की अतिरिक्त स्वीकृति एवं शास्ति राशि ₹ 85.80 लाख सहित राशि ₹ 1.21 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित हुई जैसा कि परिशिष्ट -V में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

¹⁰ इन्दौर-I

¹¹ भोपाल-III & V, धार, ग्वालियर-II, जबलपुर-II, इन्दौर-X & XI, वैधान

2.4.9.6 प्रमाणित खरीद के परे खरीद पर अतिरिक्त आईटीआर का भुगतान

हमने दो क्षेत्रीय कार्यालयों¹² और पांच सर्किल कार्यालयों¹³ में 2008-09 में से 2010-11 तक की अवधि के लिए जून 2011 और सितम्बर 2013 के बीच कर निर्धारण प्रकरणों में कुल 836 मामलों में से 10 डीलरों के 10 मामलों में पाया कि अंकेक्षित खातों में प्रमाणित खरीद के अनुसार, डीलर राशि ₹ 2.34 करोड़ के आगत कर रिबेट के लिए पात्र थे । हालांकि डीलरों ने गलत तरीके से दावा किया है और कर निर्धारण अधिकारियों ने लेखा परीक्षित खाते में प्रमाणित की खरीद के विपरीत राशि ₹ 2.56 करोड़ की आगत कर रिबेट की अनुमति दी । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 22.00 लाख के आगत कर रिबेट के अतिरिक्त स्वीकृति एवं उस पर राशि ₹ 61.67 लाख की शास्ति सृजित हुई जैसा कि परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.7 खरीद पर छूट/क्रय वापसी कर आईटीआर के अनियमित अनुदान

हमने अवधि 2009-10 से 2010-11 तक के लिए अप्रैल 2013 और आगत 2013 के बीच कर निर्धारण प्रकरणों में से कुल 346 मामलों में से तीन डीलरों के तीन मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी ने खरीद छूट की कटौती और खरीद वापसी के बिना, गलत तरीके के सकल खरीद पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी । इस कारण राशि ₹ 6.00 लाख के आगत कर रिबेट एवं शास्ति राशि ₹ 7.56 लाख की अनियमित स्वीकृति हुई । यह तालिका 2.6 विस्तृत रूप से दर्शित है

तालिका 2.6

(₹ लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का विवरण	डीलर का नाम टिन, प्रकरण क्र.	अवधि / निर्धारण का माह	आईटी आर की राशि दावा/ स्वीकृति	आपत्ति आईटी आर की राशि	अधिनियम की धारा 21 के अनुसार शास्ति की राशि	प्रस्तावित अतिरिक्त मांग आईटीआर की राशि
1	सीटीओ वृत्त नरसिंगपुर	मेसर्स न्यू ताज एजेंसीज नरसिंगपुर 23406404089 77/2010	2009-10 29.6.2013	10.83	0.57	0	0.57
2	सीटीओ वृत्त ग्वालियर	मेसर्स प्रमोद एजेंसीज 23355205375 , सी.एस.000053645	2010-11 26.4.2013	36.13	2.91	0	2.91

¹² भोपाल-II एवं खण्डवा

¹³ इंदौर-10, जबलपुर- II , नरसिंहपुर, पीतमपुर एवं सागर

(₹ लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का विवरण	डीलर का नाम टिन, प्रकरण क्र.	अवधि / निर्धारण का माह	आईटी आर की राशि दावा/स्वीकृति	आपत्ति आईटी आर की राशि	अधिनियम की धारा 21 के अनुसार शास्ति की राशि	प्रस्तावित अतिरिक्त मांग आईटीआर की राशि
3	सीटीओ वृत्त भोपाल	मेसर्स बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर 23034005564, 727/11	2010-11 6.8.2013	125.18	2.52	7.56	10.08
कुल				172.14	6.00	7.56	13.56

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

सरकार/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद दस्तावेज ठीक से प्रमाणीकृत हैं और यह कि आईटीआर से संबंधित दावों को स्वीकार करने से पहले अंकेक्षित खातों के साथ पालन कराना चाहिए ।

2.4.10 अनियमित स्वीकृति और आईटीआर का समायोजन

एक पंजीकृत डीलर द्वारा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 (3), उप-धारा (1) अधीन आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में जैसे की विहित की जाये, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उसके द्वारा देय कर, ब्याज और शास्ति के मध्य समायोजित किया जाएगा और अंतर, यदि कोई हो, तो बाद के वर्ष में देय कर समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा । अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार, पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहां पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के कम से कम तीन गुने की शास्ति अधिरोपित की जाएगी । मध्यप्रदेश वैट नियम, 2006 के नियम 9 के तहत आगत कर रिबेट के संबंध में ऐसी कोई भी दावा त्रैमासिक प्रपत्र 10 में इस तरह के पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जाएगा ।

2.4.10.1 पिछले वर्ष के आईटीआर की अनियमित स्वीकृति और समायोजन

हमने दो डिवीजन कार्यालयों¹⁴, एक क्षेत्रीय कार्यालय¹⁵ और सात सर्किल कार्यालयों¹⁶ में कुल 1109 मामलों में से 19 डीलरों के 19 मामलों में पाया की डीलर द्वारा पिछले वर्ष के आगत कर रिबेट को चालू वर्ष में समायोजित किया गया था जबकि डीलर द्वारा अपनी प्रथम तिमाही विवरण में पिछले वर्ष की आगत कर रिबेट का दावा नहीं किया गया था । इस प्रकार आगत कर रिबेट के अनियमित समायोजन राशि ₹ 61.56 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 1.19 करोड़ सहित

¹⁴ इंदौर-1 और खंडवा

¹⁵ देवास

¹⁶ भोपाल-1, ग्वालियर-II, इंदौर-XIII, इंदौर-XIV, जबलपुर-1, मुरैना और वैधान

कुल राशि रू. 1.81 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित हुई जैसा की परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.10.2 विवरणी के प्रतिकूल आईटीआर का अनियमित रूप से आगामी वर्ष के लिए ले जाना

हमने वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के लिए एक डिजीजन कार्यालय¹⁷ एक क्षेत्रीय कार्यालय¹⁸ एवं पांच सर्किल कार्यालयों¹⁹ में कुल 820 मामलों में से चयनित इकाईयों के 11 डीलरों के 11 मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड आगत कर रिबेट राशि ₹ 42.58 लाख निर्धारित किया गया था, जबकि डीलर द्वारा अपने चौथे त्रैमासिक विवरणी में कैरी फारवर्ड आगत कर रिबेट केवल ₹ 7.31 लाख था, परिणाम स्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर रिबेट के अनियमित कैरी फॉरवर्ड की राशि 36.24 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 18.59 लाख सहित कुल राशि ₹ 54.83 की सृजित हुई जैसा की परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.10.3 आईटीआर का दोगुना लाभ

हमने वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए मई 2012 और सितम्बर 2013 के बीच निर्धारित वैट मामलों के मूल्यांकन के दौरान कुल 117 मामलों में से दो डीलरों के दो मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असमायोजित आगत कर रिबेट को आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया था और सीएसटी मामलों में समायोजन के लिए कोई आगत कर रिबेट उपलब्ध नहीं था ।

आगे यह देखा गया की सीएसटी मामलों में मांग थी और इसे असमायोजित आगत कर रिबेट जो की आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया था से समायोजित किया गया जिससे डीलर को आगत कर रिबेट का दुगुना लाभ राशि ₹ छः लाख कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया जिसे निम्नलिखित तालिका 2.7 में दर्शाया गया है ।

¹⁷ इंदौर-1

¹⁸ देवास

¹⁹ भोपाल-V, ग्वालियर-II, ग्वालियर-III, इंदौर-XI और मंडीदीप

तालिका 2.7

(₹ लाख में)							
सरल क्र	इकाई का विवरण	डीलर का नाम, टिन नंबर एवं प्रकरण क्रमांक	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	स्वीकृत आईटीआर की राशि	सीएसटी प्रकरण में वैट प्रकरण से लाये गए आईटीआर की राशि	सीएसटी प्रकरण में समायोजित आईटीआर की राशि	आईटीआर का अनियमित समायोजन
1	सीटीओ सर्किल-I जबलपुर	मेसर्स सनपेट, प्राइवेट लिमिटेड 23426003980 102/2011 सी.एस.000000067222 (सीएसटी) सी.एस. 000000067221(स्टेट)	2010-11 25.9.2013	11.40	0	5.52	5.52
2	सीटीओ सर्किल नीमच	मेसर्स सूरजमल चांदमल नीमच 23183203146 491/2010 वैट	2009-10 25.5.2012	0.80	0	0.48	0.48
कुल				12.20	0	6.00	6.00

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा गया की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

सरकार/विभाग अधिनियम के प्रावधान का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए । डीलरों का आगत कर रिबेट के दावों को रिटर्न के माध्यम से स्वीकार किये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

2.4.11 अपात्र माल की खरीद पर आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति

2.4.11.1 तेंदुपत्ता पर आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति

वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार एक पंजीकृत डीलर अनुसूची द्वितीय के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को किसी अन्य व्यवसायी से इनपुट टैक्स के भुगतान के बाद क्रय करता है तो उसे इनपुट टैक्स की राशि आगत कर रिबेट की पात्रता होगी ।

तेंदुपत्ता अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि संख्या 5 में प्रमाणित किया गया है, जो आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है ।

हमने आईटीआर अवधि 2009-10 से 2011-12 तक, फरवरी 2012 और दिसम्बर 2013 के बीच मूल्यांकन के कुल 208 मामलों में से चार डीलरों के चार मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तेंदुपत्ता की खरीद की राशि ₹ 1.38 करोड़ पर अनियमित रूप से आगत कर रिबेट स्वीकार किया गया जबकि वो आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है इस प्रकार आगत कर रिबेट की राशि ₹ 1.38 करोड़ की अनियमित स्वीकृति हुई जैसा कि परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.11.2 सोयाबीन और कपास पर आगत कर रिबेट के अनियमित स्वीकृति

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 26-ए (4) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में आगत कर की रिबेट का दावा नहीं किया जायेगा । अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2008 द्वारा सोयाबीन एवं सरसों को तथा अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2008 द्वारा कपास का उक्त उप अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत टीडीएस के लिए अधिसूचित किया गया है ।

हमने कुल 708 मामलों में से चार डीलरों के चार मामलों में पाया की विभाग द्वारा सोयाबीन और कपास की खरीद पर डीलर द्वारा आगत कर रिबेट का दावा किया गया और विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने से आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान राशि ₹ 21.50 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 63.76 लाख सहित कुल राशि ₹ 85.01 लाख स्वीकृत हुई जैसा की परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2014) के दौरान विभाग तथ्य को स्वीकार कर लिया है और कहा की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.11.3 रेत, गिट्टी, संयंत्र और मशीनरी पर आगत कर रिबेट के अनियमित स्वीकृति

अधिनियम की धारा 16 (6) (ix) में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 9-ए के तहत अधिसूचित माल के संबंध में किसी भी आगत कर रिबेट का दावा या स्वीकृति नहीं दी जाएगी । रेत एवं (गिट्टी) को अधिनियम की धारा 9-ए के प्रयोजन के लिए अधिसूचना 35 दिनांक 27.01.2010 के द्वारा अधिसूचित किया गया है । पुनः मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (6) (vi) के अंतर्गत अधिसूचना क्र. ए-3-95-05-1-वी दिनांक 17 अगस्त 2007 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित माल अर्थात् निर्माण सामग्री, कार्यालय फर्नीचर, उपकरण और भागों तत्संबंधी आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है ।

हमने कुल 400 मामलों में से पांच डीलरों के पांच मामलों में पाया की विभाग द्वारा रेत और गिट्टी की खरीद के लिए और अधिसूचित माल अर्थात् संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर, ₹ 4.24 लाख की आगत कर रिबेट स्वीकार किया गया और अनुमति दी गई जिसके

परिणामस्वरूप राशि ₹ 16.83 लाख का आगत कर रिबेट शास्ति ₹12.74 लाख सहित अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2014) के दौरान विभाग तथ्य को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.11.4 विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर आईटीआर का रिवर्सल न किया जाना

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 (1) (क) (5 ए) के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची-II के, भाग-III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न, वस्तुओं को क्रय करता है और धारा 16 के अधीन किये गये निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए/में और विक्रय के सम्बन्ध, उपभोग या उपयोग कर करमुक्त माल का विक्रय करता है तब उसे ऐसे आगत कर की राशि के अनुमति दी जायेगी जो भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है ।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय²⁰ और आठ सर्कल कार्यालयों²¹ में, अवधि 2007-08 से 2010-11 तक के लिए अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2013 बीच कर निर्धारित कुल 768 मामलों, में से 13 डीलरों के 13 मामलों में पाया की डीलरों द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त माल के अनुपात में आईटीआर की अनुमति दी गई है, परिणाम स्वरूप आगत कर रिबेट के अनियमित दावे और स्वीकृति राशि ₹ 12 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 26.65 लाख सहित कुल ₹ 38.65 लाख हुई जैसा कि परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग कहा कि इस प्रकार के मामलों में माननीय न्यायालय के विभिन्न फैसलें हैं तथा तथ्यात्मक स्थिति पर विचार के बाद कार्रवाई की जायेगी ।

2.4.11.5 राज्य से बाहर स्टॉक के स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में आगत कर रिबेट की कम वापसी

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 (1) (क) (6) (1) के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न उक्त अनुसूची की वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग या खपत हेतु क्रय करता है और व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के संबंध में आईटीआर का दावा किया जाता है तो राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर माल के अन्यथा निवर्तन किये जाने की स्थिति में उस राशि की सीमा तक, आईटीआर अनुमति दी जायेगी जो राज्य की भीतर भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है ।

²⁰ खंडवा

²¹ बुरहानपुर, धार, देवास और जबलपुर-I & II, खंडवा, नरसिंगपुर और नीमच

हमने दो प्रभागीय कार्यालयों²², दो क्षेत्रीय कार्यालयों²³ और तीन सर्कल कार्यालयों²⁴ के अवधि 2009-10 से 2011-12 तक के लिए, अप्रैल 2013 से जून 2011 के बीच कर निर्धारण प्रकरण में कुल 835 मामलों में से नौ डीलरों के नौ मामलों में पाया कि अंतर राज्य व्यापार के अनुक्रम में डीलरों द्वारा राज्य के भीतर बिक्री के अलावा बेचे माल के लिए राशि ₹ 34.47 लाख के आईटीआर की अनुमति दी गई । जिसके परिणामस्वरूप शास्ति राशि ₹ एक करोड़ सहित ₹ 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति हुई जैसा कि परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जायेगी ।

2.4.12 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.4.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक अंग है और यह विभागीय निर्देशों, नियमों और कानून को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करता है । आंतरिक नियंत्रण वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था को दुरुस्त और अच्छी सेवाएं, कर अपवंचन की संभावनाएं, अधिक वापसी को रोकना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद करता है । इसके अलावा, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण के लिए विभाग के वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का आवश्यक अंग है ।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण ढांचे में आंतरिक लेखापरीक्षा, आईटीआर के पहलू सहित अनुपस्थित थे जो कि व्यवस्था में एक व्यापक अंतर का संकेत थे ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग अलग आंतरिक ऑडिट विंग की अनुपस्थिति के बारे में तथ्यों को स्वीकार कर लिया ।

2.4.12.2 आईटीआर सत्यापन तंत्र में कमियां ।

अधिनियम की धारा 14 में निहित प्रावधान के अनुसार, निर्धारित प्रतिबंध और शर्तों के साथ अनुरूप पंजीकृत डीलर द्वारा इनपुट टैक्स की छूट का दावा या स्वीकृति दी जा सकेगी ।

अधिनियम द्वारा विभाग को डीलरों द्वारा आईटीआर दावों की पुष्टि करने और स्वीकार करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । विभाग को आईटीआर सत्यापन तंत्र को तैयार करने और बनाए रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए । लेकिन विभाग आईटीआर के सत्यापन तंत्र के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका ।

²² इंदौर-1 और खण्डवा

²³ सतना और सागर

²⁴ इंदौर-XIII, जबलपुर और मंडीदीप

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा कि नकद वापसी के मामलों में आईटीआर की मंजूरी और सत्यापन के लिए विभाग में एक अलग आईटीआर सत्यापन इकाई थी। आगे लेखापरीक्षा प्रश्न पर, विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके द्वारा अन्य प्रकरणों में आईटीआर बाद के वर्षों में समायोजन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया था।

हालांकि, पिछली कण्डिकाओं में चर्चा में अनुपालन के मुद्दों में कमियाँ इस तथ्य की स्थापना करने के लिए पर्याप्त हैं कि विभाग में प्रचलित प्रणाली आईटीआर सत्यापन के सभी मामले पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है। इसलिए निर्धारित प्रणाली में आईटीआर की स्वीकृति से पहले सत्यापन के संबंध में अपने कार्य के लिए उचित आश्वासन, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

विभाग (फरवरी 2014) ने कहा कि स्टाफ की कमी की वजह के कारण आईटीआर सत्यापन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2014) के दौरान, सी.सी.टी. द्वारा तथ्य पर सहमति व्यक्त की गई और कहा कि कर निर्धारण कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और आईटीआर सत्यापन कम्प्यूटरीकृत मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है।

विभाग को आंतरिक ऑडिट विंग/आईटीआर सत्यापन तंत्र स्थापित करने/मजबूत करने पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुपालन और प्रणालीगत कमियों के बारे में पता चला है जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गयी है, और आईटीआर के अनियमित भुगतान के कारण राजस्व का रिसाव हुआ जिस पर सरकार/विभाग के स्तर पर विशेष ध्यान अपेक्षित है।

हमने यह निष्कर्ष निकाला कि :

- आगत कर रिबेट दावा और अनुमति की समेकित जानकारी के अभाव में विभाग आगे के वर्षों में ले जाये आगत कर रिबेट के रूप में सरकार की कुल देनदारी का आंकलन नहीं कर सका;
- त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप फार्म-10 में वस्तु के नाम को समायोजित करने के लिए कॉलम नहीं होने से आगत कर रिबेट दावा और भुगतान करने का उचित सत्यापन संभव नहीं है;
- वैट अधिनियम, प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना है, सीटीडी द्वारा रिटर्न को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए और क्रय विक्रय के प्रति सत्यापन के काम की निगरानी के लिए तंत्र उपस्थिति नहीं था, व

- विभाग विश्वसनीय और परिचालन आगत कर रिबेट सत्यापन तंत्र के कार्यान्वयन में निष्क्रिय रहा इसलिये विभाग पर्याप्त रूप से आगत कर रिबेट से संबंधित मुद्दे को मॉनीटर नहीं कर सका ।

2.5 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में वैट कर, केन्द्रीय कर बिक्री कर और प्रवेश कर आदि के कर निर्धारण प्रकरणों के छानबीन के दौरान प्रावधानों का पालन न करने के कई मामले, दंड/ब्याज की गैर/कम लेवी, कर की गलत दर लागू किया जाना, टर्नओवर का गलत निर्धारण, कर मुक्ति की गलत स्वीकृति और अन्य प्रकरण पाए जैसा कि इस अध्याय में आगे कण्डिकाओं में वर्णित किया गया है । ये प्रकरण उदाहरणार्थ हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की चूकें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई हैं । परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरन्तर बनी रहती हैं और लेखापरीक्षा किये जाने तक प्रकाश में नहीं आती । शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों से बचा जा सके ।

2.6 गलत दर से कर का आरोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वैट कर तथा वैट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है । मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 18 (4) के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी आवधिक विवरणियों में दर्शाये गये अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का दायी होगा और यदि व्यवसायी द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण किया जाता है तब धारा 21 (2) के तहत निर्धारित कर की राशि के न्यूनतम 3 गुना किन्तु 3.5 गुने से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायी होगा ।

हमने फरवरी 2011 और नवम्बर 2013 के मध्य छः संभागीय कार्यालयों²⁵, पांच रीजनल कार्यालयों²⁶ और 15 वृत्त कार्यालयों²⁷ में कर निर्धारण आदेशों अंकक्षित लेखों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि 2007-08 से 2012-13 की अवधि से संबंधित एवं मार्च 2010 तथा जून 2013 के मध्य कर निर्धारित 33 व्यवसायियों के 40 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 57.01 करोड़ के विक्रय टर्नओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया था, इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 40000 ब्याज एवं शास्ति ₹ 28.17 लाख सहित ₹ 5.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, कुछ उदाहरणों का उल्लेख तालिका 2.8 में किया गया है ।

²⁵ ग्वालियर, इंदौर टैक्स ऑडिट ए और बी, जबलपुर टैक्स ऑडिट, सतना और सतना एंटी इवेजन

²⁶ ग्वालियर (2), गुना, जबलपुर और सतना

²⁷ भोपाल (2), छिन्दवाड़ा, ग्वालियर (3), होशंगाबाद, इंदौर (3), इटारसी, कटनी, मंडीदीप, सिवनी और शिवपुरी

तालिका 2.8

(₹लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	टर्नओवर	कर की लागू दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कर के कम आरोपण की राशि (लाख में)
1.	सीटीओ VI इंदौर	2009-10 जून 2012	सीआरजीओ लेमिनेशन	124.50	12.5	4/5	9.70
2.	आरसी-I जबलपुर	2008-09 जून 2013	माउथ फ्रेशनर	112.31	12.5	4	9.55
3.	सीटीओ XIII इंदौर	2010-11 जून 2012	एलपीजी/ सी.एन.जी. ओटो सिलिंडर/किट	61.07	13	5	4.89

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित (फरवरी 2011 से नवम्बर 2013 के मध्य) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने छह मामलों²⁸ में ₹ 11.54 लाख की मांग जारी की (जनवरी और मई 2013 के मध्य) 17 व्यवसायों के 23 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन पश्चात/परीक्षण उपरांत कार्रवाई हेतु सहमति दी गयी ।

10 व्यवसायों के 11 प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणीयाँ तालिका 2.9 के अनुसार है ।

²⁸ डीसी एन्टी इ इवेजन ब्यूरो सतना, टैक्स ऑडिट जबलपुर, आरएसी जबलपुर (2), सीटीओ भोपाल-II और छिन्डवादा

तालिका 2.9

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	आक्षेपित राशि	कर की लागू दर/आरोपित कर की दर	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डीसीसीटी सतना 1	402.66	12.5 4	एक्सप्लोसिव	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर द्वारा एक्सप्लोसिव स्वयं उपयोग/उपभोग किये गए हैं।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कर निर्धारण आदेश और गणना पत्रक में एक्सप्लोसिव सप्लाई किया जाना और वैट का संग्रह सत्यापित होता है।
2	सीटीओ होशंगाबाद 1	15.79	13 5	स्टील स्ट्रक्चर	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर सिविल वर्क, फेब्रिकेशन और ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड है परन्तु व्यवहारिक रूप से डीलर आयरन एंगल और सेक्शन का भी व्यवसाय करते हैं, अतः लागू कर की दर सीसीटी एक्ट की धारा 14 (V) के अनुसार सही है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि डीलर द्वारा स्टील स्ट्रक्चर बेचा गया था जिस पर सीसीटी मध्यप्रदेश के निर्णय ²⁹ के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से देयता आती है।
3	आरएसी गुना 1	4.88	12.5 4	सीमेंट	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि लेखापरीक्षा में ली गई आपत्ति का आधार असेसमेंट आर्डर और विवरणी में बिक्री की राशि में अंतर होना है, जबकि कर निर्धारण आदेश अंकित खाते, विवरणियों और कर निर्धारण आदेश के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया गया है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राशि में अंतर और साक्ष्य सम्बन्धित टीप विवरणों में अंकित नहीं पाई गई है।

²⁹ मेसर्स तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध सीएसटी म.प्र. (2005) 6 एसटीजे 650 (एम पी बोर्ड)

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	आक्षेपित राशि	कर की लागू दर/आरोपित कर की दर	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
4	सीटीओ-II, भोपाल 1	3.41	12.5 4	इलेक्ट्रानिक सामान (सिक्यूरिटी एवं अलार्म सिस्टम)	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि 12.5 प्रतिशत की दर से किया गया है	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि डीलर द्वारा विक्रय वस्तु का मूल्य ₹ 65.69 लाख है जबकि केवल ₹ 26.69 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कम निर्धारण किया गया है।
5	सीटीओ इटारसी 1 (2 प्रकरण)	5.84	13 5	ट्रैक्टर्स एक्सेसरीज	कर निर्धारण प्राधिकारी इटारसी एवं जबलपुर ने बताया कि - के पार्ट-की एंट्री नंबर 90 के अनुसार टैक्स का आरोपण किया गया है जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी मंडीदीप ने बताया की बेचा हुआ माल ट्रेक्टर के पार्ट्स और अटेचमेंट्स हैं।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि ट्रेक्टर के पार्ट्स और अटेचमेंट्स उक्त एंट्री में समाहित नहीं है कर निर्धारण प्राधिकारी मंडीदीप का जवाब दस्तावेजों के अनुकूल नहीं है क्योंकि फॉर्म-49, ट्रेडिंग अकाउंट और क्रय सूची के अनुसार बेचा हुआ माल ट्रेक्टर के पार्ट्स और अटेचमेंट्स स्थापित होते है।
6	सीटीओ.V भोपाल 1	2.59	12.5 4	कुक्ड फूड	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर को कम्पोजीशन प्राप्त है और उसके अनुसार कर का निर्धारण किया गया है	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि न तो कर निर्धारण अधिकारी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया न ही इस तरह के कोई प्रपत्र फाइल के साथ संलग्न पाए गए।
7	डीसीसीटी एंटी एवेसन ब्यूरो इंदौर 1	1.36	13 5	कोयर मैट्रेसस	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर को कम्पोजीशन प्राप्त है और उसके अनुसार कर का निर्धारण किया गया है	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि दस्तावेजों के अनुकूल नहीं है। फॉर्म-49, ट्रेडिंग अकाउंट और क्रय सूची के अनुसार बेचा हुआ माल कोयर मैट्रेसस स्थापित होते है।

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	आक्षेपित राशि	कर की लागू दर/आरोपित कर की दर	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
8	डीसीसीटी एंटी एवेसन ब्यूरो इंदौर-बी 1	1.25	13 5	कमर्शियल विनियर	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कमर्शियल विनियर, अनुसूची दो के भाग दो के एंट्री नंबर 5-सी में आता है।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त एंट्री में कमर्शियल विनियर नहीं आता है।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में मामले की सूचना दी। उनके जवाब (दिसम्बर 2014) प्राप्त नहीं किये गये है।

2.7 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 एवं मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किसी अवधि के टर्नओवर से तात्पर्य व्यवसाई द्वारा उस अवधि में वस्तुओं के किसी विक्रय या आरोपण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय वापसी को छोड़कर प्राप्त किये गए या प्राप्त करने योग्य विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग से है कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कर प्रदत्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा कर की राशि को विक्रय मूल्यों के कुल योग में सम्मिलित किया गया है, तो उसे टर्नओवर से घटाया जाना चाहिए।

2.7.1 हमने फरवरी 2012 और फरवरी 2014 मध्य तीन संभागीय कार्यालयों³⁰, पांच रीजनल कार्यालयों³¹ और 18 वृत्त कार्यालयों³² में कर निर्धारण आदेशों अंकेक्षित लेखों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया की 2007-08 से 2011-12 की अवधि से सम्बन्धित 33 व्यवसायियों के 34 प्रकरणों में अप्रैल 2010 तथा मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारित करते समय ₹ 24.55 करोड़ कम टर्नओवर निर्धारित किया, इस प्रकार राशि ₹ 24.55 करोड़ को कर की गणना में नहीं लिया गया इसके परिणामस्वरूप शास्ति राशि ₹ 81.76 लाख सहित ₹ 3.14 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरणों का उल्लेख **तालिका 2.10** में किया गया है।

³⁰ टैक्स आडिट विंग ग्वालियर, टैक्स आडिट विंग इंदौर एवं जबलपुर

³¹ ग्वालियर, इंदौर सागर सतना एवं उज्जैन

³² बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, देवास, ग्वालियर, गुना, इंदौर (2), इटारसी, मंदसौर, मंडीदीप, मंडला, नरसिंहपुर, पीथमपुर, सागर, सतना एवं उज्जैन

तालिका 2.10

सरल क्रं.	लेखापरीक्षित इकाई का	कर निर्धारण अवधि/लेखा परीक्षा माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर
1.	डीसीटी-II जबलपुर	2009-10 जून-2012	कर निर्धारण अधिकारी ने प्लांट एंड मशीनरी तथा उस पर प्रॉफिट की राशि ₹ 3.36 करोड़ शामिल नहीं की। परिणामस्वरूप कम टर्नओवर निर्धारित किया गया और टैक्स राशि ₹ 41.95 लाख का कम निर्धारण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2013) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
2.	आरएसी सागर	2010-11 नवम्बर 2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बीडी के टर्नओवर को ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित ₹ 24.79 करोड़ के स्थान पर ₹ 21.46 करोड़ निर्धारित किया गया। इस प्रकार कर योग्य टर्नओवर का ₹ 3.33 करोड़ कम निर्धारण करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 15.87 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अगस्त 2013) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
3.	डीसी टैक्स ऑडिट इंदौर	2010-11 जून-2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीलर के कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण के समय अन्य आय राशि ₹ 92.88 लाख जो रूई बेल के रूप में प्राप्त हुई को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार कर योग्य टर्नओवर के कम निर्धारण से राशि ₹ 3.71 लाख का कम कर का आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2013) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इंगित (फरवरी 2012 और फरवरी 2014 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने तीन मामलों में स्वीकार कर लिया और दो मामलों में ₹ 23.27 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को उठाया। 27 डीलरों के 28 मामलों में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने हमारी टिप्पणियों के उत्तर में बताया (मार्च 2012 और 2013 के फरवरी के बीच) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी, शेष तीन प्रकरणों में हमारी टिप्पणियों और कर निर्धारण प्राधिकारियों के जवाब निम्न तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11

सरल क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	अवधि /कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का जवाब/हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आर.ए.सी सतना	2009-10 अप्रैल 2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर का ₹ 8.73 करोड़ से कम निर्धारित करने के कारण कर का अनाआरोपण ₹ 1.09 करोड़	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि डीलर ने समेकित बैलेंसशीट/एकाउंट्स प्रस्तुत किये जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के विक्रय भी शामिल थे। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते में केवल म. प्र. के क्रय को शामिल किया गया था अतः विक्रय भी केवल म. प्र. राज्य से सम्बन्धित था।
2.	सीटीओ-I, ग्वालियर	2010-11 दिसम्बर 2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर ₹ 1.28 करोड़ निर्धारित किया गया जबकि कर योग्य टर्नओवर ₹ 1.64 करोड़ था। अतः करयोग्य टर्नओवर का ₹ 36 लाख से कम निर्धारित करने के कारण कर का अनाआरोपण ₹ 3.24 लाख।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि टैक्स के गणना अंकेक्षित खाते में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस खाते में वर्णित विक्रय पर की गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि जवाब समेकित अंकेक्षित खाते में के साथ संलग्न साक्ष्य के प्रतिकूल है। अंकेक्षित खाते में राशि ₹1.64 करोड़ टर्नओवर के तौर पर निर्धारित किये गए थे।
3.	सीटीओ-II, छिन्दवाड़ा	2010-11 फरवरी 2013	कर निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से क्रेडिट नोट ₹ 14.54 लाख की छूट स्वीकृत की। परिणाम स्वरूप करयोग्य कर का कम निर्धारण होने से ₹ 1.89 लाख के कर का अनाआरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि डीलर द्वारा इनवाइस बिल में कीमत में कमी के कारण क्रेडिट नोट जारी किये गए थे, हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि यह प्रावधानों के प्रतिकूल है जो इस प्रकार के किसी पश्च वर्ती डिस्काउंट जो कि विक्रय मूल्य पर दिए गए हो, मान्य नहीं करते है।

2.7.2 वैट अधिनियम की धारा 11-ए एवं नियमों अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, जो उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में पूर्णतः या भागतः माल का प्रदाय करने का कारोबार करता है उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर के बदले ऐसी दर से, जो विहित की जाए, तथा विहित राशि में अवधारित एकमुश्त रकम प्रशमन के रूप में भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा। नियम के अधीन प्रशमन के रूप में एकमुश्त भुगतान की जाने वाली रकम संविदा कार्य के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अथवा प्राप्त योग्य कुल आर्थिक प्रतिफल पर अवधारित की जाएगी।

हमने फरवरी 2014 में संभागीय कार्यालय सागर में अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, प्राप्तियों और भुगतान खातों के नमूना जाँच में अवधि 2009–10 हेतु जून 2012 में कर निर्धारित रजिस्ट्रीकृत प्रशमन व्यापारी के प्रकरण में पाया गया कि व्यापारी को कुल आर्थिक प्रतिफल राशि ₹ 48.77 करोड़ प्राप्त हुई। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सेनवेट, सर्विस टैक्स एवं वैट के रूप में प्राप्ति राशि ₹ 7.38 करोड़ को कम करते हुए कुल आर्थिक प्रतिफल राशि ₹ 41.50 करोड़ निर्धारित किया। इस प्रकार कुल टर्नओवर कम निर्धारित करने के परिणामस्वरूप चार प्रतिशत की दर से ₹ 29.52 लाख रुपये अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित (फरवरी 2014) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की सत्यापन पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत, खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों से प्रवेश कर आरोपणीय है। अधिनियम तथा मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार, यदि कोई व्यवसाई आवधिक विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा और कर निर्धारण में चूक व्यवसाई के कारण हुई है तो वह शास्ति के भुगतान का भी दायी होगा।

हमने मई 2014 से मार्च 2014 के मध्य सात संभागीय कार्यालयों³³ नौ क्षेत्रीय कार्यालयों³⁴ एवं 20 वृत्त कार्यालयों³⁵ में अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, प्राप्तियों और भुगतान खातों के 48 डीलरों के 49 प्रकरणों में अवधि जून 2009 से मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित प्रकरणों में अवधि 2006–07 से 2011–12 तक, की नमूना जाँच में पाया गया कि राशि ₹ 76.31 करोड़ के कुछ वस्तुओं जैसे कि आयरन और स्टील, इलेक्ट्रॉनिक आयटम, मिल्क पाउडर, एलपीजी डोमेस्टिक/कमर्शियल, फरनेंस आयल, हक्सेन, एचडीपीई/पीपी/वोवन बैग्स आदि पर वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के प्रवेश कर शास्ति राशि ₹ 1.12 करोड़ सहित की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित (मई 2010 और मार्च 2014 के बीच) किये जाने पर, तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 66.22 लाख की मांग (दिसम्बर 2012 और सितम्बर 2013

³³ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर (2) सतना और उज्जैन

³⁴ ग्वालियर इंदौर (2) जबलपुर, खंडवा सागर और सतना (3)

³⁵ भिंड, भोपाल (3) छतरपुर, देवास, ग्वालियर (2) इंदौर (5) इटारसी, पीथमपुर, सतना (2) सेंधवा, उज्जैन और विदिशा

के बीच) जारी की गई। 36 डीलर के अन्य 37 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (मई 2010 और जनवरी 2014 के बीच) कि सत्यापन/परीक्षा के बाद कार्यवाही की जायेगी। शेष नौ मामले में, विभाग के जवाब और हमारे टिप्पणियां तालिका 2.12 में हैं।

तालिका 2.12

(₹ लाख में)						
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम/माल का मूल्य	लागू कर की दर/आरोपित कर	विभाग का जवाब	हमारी टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	डीसीसीटी-I जबलपुर 2 डीसीसीटी-II ग्वालियर 1	2009-10 मई/जून 2012 2009-10 जून 2012	फेरनेंस आयल 1416.14	1 निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि निर्णय इंडियन आयल लिमिटेड भोपाल विरुद्ध एसटीजे 62 भोपाल एवं प्रिज्म सीमेंट एसटीजे 422 विरुद्ध सीसीटी म. प्र. (2006) के अनुसार फरनेंस आयल, लाइट डीजल आयल है। कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः बताया की इंडियन आयल के केस में फरनेंस आयल को अनुसूची -II की वस्तु मानते हुए करारोपण किया गया है।	हम जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त जजमेंट वेट/सीएसटी प्रकरणों के लिए है, जबकि प्रवेश कर के लिए अलग अनुसूची है, जिसके अनुसार फरनेंस आयल अनुसूची-III की वस्तु है।
2.	डीसीसीटी-II जबलपुर 1	2009-10 जून 2012	आयरन एंड स्टील टिम्बर एंड लुब्रीकेंट्स 300.13	2 1	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि डीलर ने कम्पोजीशन प्राप्त किया हुआ है और प्रवेश कर देयता से नोटिफिकेशन क्र. 16 (2007) के अनुसार पेट्रोल, डीजल, कैपिटल गुड्स और व्हीकल को छोड़कर छूट प्राप्त है।	हम जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं इसे कैपिटल गुड्स मानते हुए करारोपण किया है।

(₹ लाख में)						
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम/माल का मूल्य	लागू कर की दर/आरोपित कर	विभाग का जवाब	हमारी टिप्पणी
3	आरसीए-I इंदौर 2	2010-11 मार्च 2013	स्किमड मिल्क/ मिल्क पाउडर 246.77	2 1	निर्धारण अधिकारी ने बताया कि स्किमड मिल्क/मिल्क पाउडर की कोई स्पेसिफिक प्रविष्टि प्रवेश कर की अनुलग्नक में नहीं है। इसलिए प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची-II के पार्ट III की प्रविष्टि एक के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया।	हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्किमड मिल्क/मिल्क पाउडर प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची-II के पार्ट II की प्रविष्टि 31 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से करारोपनीय है।
4	डीसीसी-II, इंदौर 1	2009-10 जून 2012	हेक्सेन 72.37	10 1	निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यह हैक्सानेस (एक औषधि) है न कि हैक्सन (एक कच्चा माल) जैसा की ऑडिट ने माना है।	हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि हेक्सानेस और हेक्सन एक ही कमांडिटी है जिनका केमिकल कम्पोजीशन (हाइड्रोजेकार्बन) एक सा है जो कि कूड आयल की रिफाइनिंग से प्राप्त होता है और इंडस्ट्रियल एवं लैब दानों में उपयोग होता है।
5	सीटीओ विदिशा 1	2009-10 जून 2012	बर्न्ट आयल एंड पैकिंग मटेरियल 68.81	1 निरंक	निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बर्न्ट आयल मग्न क पंजीकृत डीलर से क्रय कर प्रोसेसिंग उपरान्त बेचा गया है।	जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि बर्न्ट आयल अनुसूची-III की वस्तु होने के कारण कर योग्य है।
6	डीसीसीटी -I भोपाल 1	2009-10 जून 2012	फरनेस आयल 12.69	10 निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि फरनेस आयल अनुसूची-II या अनुसूची-III की वस्तु है इस सम्बन्ध में प्रकरण अपीलेंट बोर्ड/हाई कोर्ट में लंबित है, अतः बर्न्ट आयल को अनुसूची-III की वस्तु मानते हुए करारोपण नहीं किया जा सकता।	हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने कुल क्रय राशि ₹ 97.45 लाख में से आयतित क्रय 84.76 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑडिट आपत्ति रेट या अनुसूची की न होकर राशि की है।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.9 आमान्य आगत कर रिबेट की स्वीकृति

2.9.1 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहां कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किन्हीं वस्तुओं का क्रय करता है तो उसे उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर की राशि के बराबर आगत कर छूट (आई.टी.आर.) प्रदान की जायेगी। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के नियम 9 के अंतर्गत आगत कर रिबेट का न तो दावा किया जायेगा न ही स्वीकृत किया जायेगा यदि बिल या केश मेमो में संग्रह की गई कर की राशि विक्रय करने वाले पंजीकृत डीलर ने पत्रक से नहीं दर्शायी है आगे, कथित अधिनियम की धारा 21 (1)(डी) और (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान आगत कर रिबेट की गलत छूट व्यवसायी के कारण दी गई है तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जायेगी।

हमने संभागीय कार्यालय टैक्स ऑडिट जबलपुर, सात क्षेत्रीय कार्यालयों³⁶ और आठ सर्कल कार्यालयों³⁷ में अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच में आंकलन आदेश, अंकेक्षित खातों, खरीद सूची में 18 डीलरों के 19 प्रकरणों में दिसम्बर 2009 और जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आमान्य आगत कर रिबेट राशि ₹ 1.01 करोड़, ₹ 0.90 लाख का ब्याज एवं शास्ति ₹ 49.24 लाख सहित की अनुमति दी।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने तीन प्रकरणों में राशि ₹ 33.64 लाख की अतिरिक्त मांग को उठाया जैसा की तालिका 2.13 में विस्तृत रूप में बताया गया है।

तालिका 2.13

स. क्र.	लेखा परीक्षित इकाई का नाम/ डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण माह	हमारा प्रेक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आरएसी-II उज्जैन 1	2008-09 फरवरी 2011	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगामी वर्ष 2007-08 के लिए ले जाने वाली राशि आगत की रिबेट राशि ₹ 24,198 के स्थान ने आगत कर रिबेट राशि ₹ 3.36 लाख को पर गलत रूप से समायोजित किया, परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट राशि ₹ 3.12 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 9.35 का अधिक भुगतान हुआ।

³⁶ ग्वालियर, जबलपुर (2), खण्डवा, मुरैना तथा उज्जैन (2)

³⁷ छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मंदसौर, सागर, उज्जैन

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (दिसम्बर 2012) कर की राशि को छोड़कर, शास्ति राशि ₹ 9.73 लाख की मांग सृजित की			
2	आरएसी-I जबलपुर 1	18/12/2008 से 31/03/2009 अप्रैल 2011	व्यवसायी के पंजीयन दिनांक से पहले धारा 17(सी) और (डी) अनुरूप मैन्यूफैक्चरर मानते हुए व्यवसायी द्वारा क्रय वस्तु पर आगत कर रिबेट की राशि ₹ 9.57 लाख गलत रूप से स्वीकृति ।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (फरवरी 2012) कर की राशि को छोड़कर, शास्ति राशि ₹ 9.57 लाख की मांग सृजित की			
3	आरएसी-I उज्जैन 1	2007-08 अप्रैल 2010	डीलर द्वारा ट्रेक्टर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स आयल का राशि ₹ 56.93 लाख का क्रय अपनी ब्रांच से किया गया, कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त क्रय पर आगत कर रिबेट ₹ 2.28 लाख गलत स्वीकृत किया है, परिणामस्वरूप आगत कर के उक्त राशि की गलत स्वीकृति हुए ।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (जून 2013) का की राशि को छोड़कर, शास्ति राशि ₹ 14.33 लाख की मांग सृजित की			

13 डीलरों के अन्य 14 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2013) कि सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्रवाई की जायेगी । शेष दी डीलरों के दो प्रकरणों में, विभाग के जवाब और हमारी टिप्पणियां तालिका 2.14 में है ।

तालिका 2.14

सरल क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का जवाब/हमारा जवाब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीटीओ-II छिन्दवाड़ा	2009-10 जून 2012	डीलर द्वारा लुब्रिकेंट और सीमेंट पर इनपुट टैक्स राशि ₹ 41.85 लाख का भुगतान किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राशि ₹ 46.24 लाख के आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी, परिणामस्वरूप आगत की रिबेट राशि ₹ 4.39 लाख की अधिक स्वीकृति ।	कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब में कहा की व्यवसायी द्वारा दवा किये आगत कर रिबेट की स्वीकृति की गयी । जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित विक्रय पर टैक्स आरोपित किया गया है अतः आगत कर रिबेट भी ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित राशि पर मान्य होगा ।
2.	आरएसी- मुरैना	2008-09 अप्रैल 2011	डीलर द्वारा ट्रेक्टर क्रय पर इनपुट टैक्स राशि ₹ 30.13 लाख का भुगतान किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राशि ₹ 31.43 लाख के आगत कर रिबेट की	कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब कहा की आगत कर रिबेट की स्वीकृति सही दर से की गयी । जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कर ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित राशि पर आगत कर रिबेट भी ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित

			स्वीकृति राशि ₹ 1.30 लाख की अधिक स्वीकृति ।	राशि पर आगत कर रिबेट मान्य होगा ।
--	--	--	---	-----------------------------------

2.9.2 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न उक्त अनुसूची की वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग या खपत हेतु क्रय करता है और व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के संबंध में आईटीआर का दावा किया जाता है तो राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर माल के अन्यथा निवर्तन किये जाने की स्थिति में उस राशि की सीमा तक, आईटीआर अनुमति दी जायेगी जो राज्य की भीतर भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है । पुनः मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर आगत कर का भुगतान कर माल का क्रय करता है और धारा 16 के अधीन निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए उपभोग या उपयोग कर मुक्त माल का विक्रय करता है तब उसे ऐसे आगत कर की राशि के अनुमति दी जायेगी जो भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है ।

हमने उज्जैन के दो क्षेत्रीय कार्यालयों और तीन सर्कल कार्यालयों³⁸ में अगस्त 2010 और नवम्बर 2013 के बीच, आकलन आदेश, अंकेक्षित खातों, खरीद सूची आदि अभिलेखों की जांच की और पाया है कि छह डीलरों के छः मामलों में अवधि 2006-07 और वर्ष 2009-10 के लिए जून 2009 और जून 2012 के बीच की निर्धारण प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 17.70 लाख के आईटीआर अनुमति दी हालांकि डीलर द्वारा विक्रय के अलावा अन्यथा रूप से निपटारा की गयी वस्तुओं के अथवा कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री के चार प्रतिशत से अधिक के आगत कर रिबेट की राशि ₹ 5.93 लाख की पात्रता थी । परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट की राशि ₹ 11.77 लाख की अनियमित स्वीकृति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (अगस्त 2010 और नवम्बर 2013 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने एक प्रकरण में शास्ति राशि सहित ₹ 4.14 लाख (मई 2013) की अतिरिक्त मांग को उठाया । शेष पांच डीलरों के पांच प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अगस्त और नवम्बर 2013 के बीच) की, सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्रवाई की जाएगी ।

2.9.3 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 26-ए के (4) के अनुसार उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में आगत कर की रिबेट का दावा नहीं किया जायेगा है, अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2008 द्वारा सोयाबीन एवं सरसों को उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत टीडीएस के लिए अधिसूचित किया गया है ।

हमने जुलाई 2010 और जून 2012 के बीच क्षेत्रीय कार्यालयों नीमच और शाजापुर, वृत्त कार्यालयों के छिंदवाड़ा और इन्दौर में आकलन आदेश, अंकेक्षित खातों, खरीद सूची आदि अभिलेखों की जांच की, और पाया कि जुलाई 2009 और जून 2011 के बीच कर निर्धारण के

³⁸ गुना तथा इन्दौर (2)

पांच डीलरों के पांच मामलों में अवधि वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए कर निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से सोयाबीन और सरसों की खरीद मूल्य पर ₹ 6.19 लाख की आईटीआर की अनुमति दी। ये वस्तुओं टीडीएस के लिए अधिसूचित थे, अतः आईटीआर इन मामलों में स्वीकार्य नहीं था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 6.19 लाख का आईटीआर के गलत स्वीकृति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित किये जाने पर (जुलाई 2010 और जून 2012 के बीच) कर निर्धारण अधिकारी सर्किल-I छिंदवाड़ा ने दो प्रकरणों में ₹ 1.37 लाख (मई 2013) की मांग जारी की और एक अन्य प्रकरण सर्किल-I इन्दौर में (मई 2012), लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। शेष दो प्रकरणों में, कर निर्धारण अधिकारी ने कहा (जुलाई 2010 और फरवरी 2011) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

2.9.4 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहाँ कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य वस्तुओं का क्रय करता है तो उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर रिबेट की राशि के बराबर आगत कर छूट प्रदान की जाएगी, अधिनियम की उप-धारा (6) (vi) एवं (ix) में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 9-ए के तहत अधिसूचित माल के संबंध में किसी भी आगत कर रिबेट का दावा या स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पुनः मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6)(vi) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2007 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित माल अर्थात् निर्माण सामग्री, क्रेन एवं कार तत्संबंधी आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है। रेत और गिट्टी को अधिनियम की धारा 9-ए के प्रयोजन के लिए अधिसूचना दिनांक 27.01.2010 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

हमने मई 2012 और सितम्बर 2013 के बीच तीन सर्किल कार्यालयों³⁹ में आकलन आदेश, अंकक्षित खातों, खरीद सूची आदि अभिलेखों की जांच और पाया जून 2010 और जून 2012 के बीच कर निर्धारित प्रकरणों में परीक्षण अवधि वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए चार डीलरों के चार मामलों में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भवन निर्माण सामग्री, क्रेन, कार और गिट्टी की खरीद गलत तरीके से की आईटीआर राशि ₹ 3.91 लाख की अनुमति दी। ये वस्तुओं अधिसूचित थी, अतः आईटीआर इन मामलों में स्वीकार्य नहीं था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.91 लाख का आईटीआर गलत स्वीकृति हुई।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों में इंगित (मई 2012 और सितम्बर 2013 के बीच) किये जाने पर एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी सर्किल-I इन्दौर ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और शेष तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने कहा (मई 2012), की सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

³⁹ इन्दौर (2), जावरा तथा सतना

2.9.5 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002, धारा 73, 82(7) के साथ पठित, के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारंभ में, एक पंजीकृत डीलर अनुसूची-II में निर्दिष्ट किसी भी सामान जो कि मध्य प्रदेश में, या अंतरराज्यीय व्यापार में बिक्री के लिए हो, का स्टॉक रखते हैं, तो ऐसे डीलर ऐसे स्टॉक किये गए माल पर अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से नौ महीने की अवधि के भीतर इस तरह के कर का भुगतान किया माल के संबंध में इनपुट टैक्स छूट की अनुमति के पात्र होंगे। इसके अलावा, आगे, कथित अधिनियम की धारा 21 (1)(डी) और (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान आगत कर रिबेट की गलत छूट व्यवसायी के कारण दी गई है तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जायेगी।

हमने अगस्त 2011 के सर्कल कार्यालय-I जबलपुर में निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, आदि की जांच की और पाया की अवधि 2007-08 के लिए मई 2010 में निर्धारण किये गए एक व्यापारी के प्रकरण में, कर निर्धारण अधिकारी ने 2005-06 की इन्वेंटरी से संबंधित आगत कर रिबेट राशि ₹ 72,149 को गलत तरीके से अवधि 2007-08 के लिए डीलर द्वारा दावा कर में समायोजित किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.89 लाख शास्ति राशि ₹ 2.17 लाख सहित का आईटीआर की गलत स्वीकृति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण में इंगित किये जाने पर (अगस्त 2011), कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति राशि सहित ₹ 2.89 लाख (मई 2013) की अतिरिक्त मांग को सृजित की।

हमने सरकार और विभाग को (अक्टूबर 2010 और जनवरी 2014 के मध्य) में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.10 वस्तुओं को कर मुक्त मानते हुए विक्रय पर कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से करमुक्त की गयी वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गयी हैं।

अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहाँ पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहाँ पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के कम से कम 3.5 गुने की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

हमने अप्रैल से दिसम्बर 2013 के बीच सात सर्कल कार्यालयों⁴⁰ में आकलन आदेश, अंकेक्षित खातों और सूची आदि अभिलेखों की जांच अवधि 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक की अवधि के लिए अप्रैल 2011 और नवम्बर 2012 के बीच कर निर्धारित सात डीलरों के प्रकरणों में की और पाया की, डीलरों द्वारा राशि ₹ 5.45 करोड़ के धोने के साबुन, नोटबुक, कंबल, डीटीएच, कपास बीज आदि कर का न तो भुगतान किया गया न ही कर निर्धारित अधिकारी द्वारा कोई टैक्स

⁴⁰ बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन

अधिरोपित किया गया । परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.12 करोड़ शास्ति राशि ₹ 82.41 लाख सहित कर का अनारोपण हुआ जैसा की तालिका 2.15 में उल्लिखित है ।

तालिका 2.15

सरल क्र.	वस्तु का नाम	टर्नओवर (₹ लाख में)	लागू कर की दर (%)	अनारोपित कर की राशि (₹ लाख में)	शास्ति (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाशिंग शोप	51.92	13	6.75	20.25
2.	पीवीसी पाइप	26.64	5	1.33	4.00
3.	नोटबुक	371.00	4 और 5	16.97	50.91
4.	ब्लंकेट	36.23	4	1.45	4.35
5.	डीटीएच	7.74	12.5	0.97	2.50
6.	कॉटन सीड	38.67	4	1.55	0
7.	डाई कैल्शियम फोस्फेट	12.74	5	0.63	0
कुल		544.94		29.65	82.41

हमारे द्वारा इन प्रकरणों में इंगित किये (अप्रैल और दिसम्बर 2013 के बीच) जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों ने सभी मामलों में सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्रवाई करने हेतु कहा ।

हमने सरकार और विभाग को (फरवरी और मई 2014 के मध्य) में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) ।

2.11 शास्ति का अनारोपण

2.11.1 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 21(2) के अनुसार जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, व्यवसायी की चूक के कारण हुआ हो, वहां इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के 3.5 गुने से अनधिक परन्तु 3 गुने से कम नहीं की, शास्ति अधिरोपित की जायेगी। पुनः मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स, 1994 की धारा 26(4)(ए) एवं मध्य प्रदेश वैट एक्ट, 2002 की धारा 18(4)(ए) के अधीन यदि कोई डीलर किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर के राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे डीलर देय के अनुसार ब्याज की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे, धारा 18(4) के क्लॉज (बी) अनुसार यदि कोई डीलर उपधारा (1) अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं करता है तब आयुक्त ऐसी दर से जैसी की विहित की जाए जो कि ब्याज की राशि के 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह से अधिक न हो, शास्ति की राशि के भुगतान हेतु आदेशित करेगा ।

- हमने सितम्बर 2013 में डिवीजन कार्यालय-III इन्दौर में आकलन आदेश, अंकेशित खातों की आदि के जांच की ओर पाया की एंटी एवेजन ब्यूरो (ए ई बी) के प्रस्तावों पर डीलर का अवधि

2006-07 का पुनर्कर मूल्यांकन दिसम्बर 2012 में किया गया । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनर मूल्यांकन के दौरान राशि ₹ 24.14 लाख की टैक्स चोरी का आकलन एवं ऐसे कर पर 3.5 गुना शास्ति मूल्यांकित की गयी । अपील पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए कि डीलर का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था शास्ति माफ कर दी गयी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च स्तर पर अपील के बजाय अपीलीय प्राधिकार के आदेश को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप की की 3.5 गुना की दर से शास्ति राशि ₹ 72.42 लाख का अनारोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण में इंगित (सितम्बर 2013) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय प्राधिकार के आदेश का बचाव किया और कहा की डीलर ने किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं था, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शास्ति की राशि माफ कर दी गई । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं पुनः कर निर्धारण के समय डीलर की गलती की स्थापना के बाद शास्ति अधिरोपित की गयी थी । यहां तक कि, ए ई बी की रिपोर्ट में भी डीलर द्वारा जान बूझकर कर की चोरी होना पाया था एवं तदनुसार एवं शास्ति का प्रस्ताव रखा था । इस प्रकार, चूक डीलर के कारण है और शास्ति आकर्षित करती है ।

- हमने अप्रैल 2013 में सर्किल कार्यालय झाबुआ के आकलन आदेश, अंकेशित खातों आदि की जांच की और पाया की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जून 2010 में धारा 20(6) में कर निर्धारित अवधि 2007-08 के लिए, एक व्यापारी के मामले में, कर योग्य टर्नओवर राशि ₹ 38.57 लाख निर्धारित कर राशि ₹ 1.54 लाख का टैक्स आंकलित किया परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.09 लाख जो की कर की राशि के दो गुना है नहीं आरोपित की गयी ।

हमारे द्वारा प्रकरण में इंगित (अप्रैल 2013) किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने परीक्षण उपरांत कार्रवाई करने पर सहमति दी ।

हमने सरकार और विभाग को मई और सितम्बर 2013 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) ।

2.12 ब्याज का अनारोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002, की धारा 20(6) के अधीन ऐसे व्यापारी ने जो किसी कालावधि के संबंध में कर चुकाने के दयित्यावाधीन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है तो आयुक्त ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण, ऐसी रीति में, जैसा की विहित की जाए, करने के लिए अग्रसर होगा और उसका ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के संबंध में अपने सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण करेगा तथा उस पर शास्ति के रूप में ऐसी राशि अधिरोपित जो इस प्रकार निर्धारित की गयी रकम की दोगुनी हो ।

हमने क्षेत्रीय कार्यालयों सतना और छिन्दवाड़ा में जनवरी 2010 और नवम्बर 2012 के मध्य, अंकेशित खातों और खरीद सूची के रूप में अभिलेखों की जांच की और पाया है कि चार डीलर के पांच प्रकरणों में मार्च 2009 और जून 2011 के बीच निर्धारण आदेश में निर्धारित अवधि

2003-04 से 2008-09 में कर राशि ₹ 2.28 करोड़ या तो जमा नहीं की गई या देरी, जो कि तीन से 99 दिनों की देरी थी, इसके अतिरिक्त डीलर द्वारा उक्त राशि पर देय ब्याज भी जमा नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में किसी प्रकार की ब्याज या पेनल्टी की राशि का आरोपण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 35.48 लाख ब्याज एवं शास्ति राशि ₹ 5,322 का कम आरोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट- XII में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (जनवरी 2010 और नवम्बर 2012 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी, ने सभी प्रकरणों में (मार्च 2011 और जुलाई 2012 के बीच) शास्ति सहित राशि ₹ 35.53 लाख रुपये की मांग जारी की।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.13 प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, यदि विक्रय के माल का प्रचालन एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है अथवा इस प्रचालन के दौरान माल के अधिकार के दस्तावेजों का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है तो माल का विक्रय अंतर्राज्यीय माना जायेगा। यदि माल का प्रचालन किसी राज्य से प्रारंभ होकर उसी राज्य में समाप्त हो जाता है तो इसे एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रचालन नहीं मान सकेगा।

हमने डिवीजन कार्यालय, जबलपुर में मार्च 2013 में निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों और खरीद सूची के रूप में अभिलेखों की जाँच की और पाया है कि दो डीलर ने, अप्रैल 2010 और जनवरी 2012 के मध्य कर निर्धारित अवधि 2007-08 एवं 2009-10 में, लोकल रजिस्टर्ड डीलर को राशि ₹ 7.72 करोड़ के बीडी, एनर्जी मीटर स्क्रैप एवं कॉपर वाइंडिंग का विक्रय किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश उक्त प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण किया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 29.80 लाख रुपये की कर का कम आरोपण हुआ। जैसा कि तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16

सं. क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि	हमारा प्रेक्षण	विभाग का जवाब/हमारी टीप
1	डी.सी.-I जबलपुर सेंट्रल इंडिया टोबेको प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	डीलर द्वारा राशि ₹ 6.55 करोड़ की बीडी का विक्रय सी-फार्म उद्घोषण पर लोकल रजिस्टर्ड डीलर को विकृत किया गया था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्जीय विक्रय मानकर रियायती दर दो प्रतिशत से आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप अंतर कर की राशि 3 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 19.64 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सी- फॉर्म का सत्यापन करने के उपरान्त रियायती दर से कर आरोपण किया गया है। हम जवाब से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत सी - फॉर्म वाणिज्य कर विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गये थे।
2	डी.सी.-I जबलपुर एमपीपीकेवीवी कम्पनी लिमिटेड	2007-08	डीलर द्वारा राशि ₹ 1.77 करोड़ की कॉपर वाइंडिंग और एनर्जी मीटर का विक्रय खुली निविदा पर 'जैसा है जहाँ है' आधार पर लोकल रजिस्टर्ड को विकृत किया गया था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्जीय विक्रय मानकर रियायती दर 3 प्रतिशत से कम आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 10.15 लाख रुपये की कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यह केस लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर है क्योंकि यह 2011-12 से सम्बन्धित है। हम जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए बिन्दुओं पर नहीं है।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.14 गलत कटौती की अनुमति दिए जाने के कारण कर का कम आरोपण

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 2 (x)(iii) के अनुसार, विक्रय मूल्य के योग में शामिल कर के राशि घटने के बाद करयोग्य टर्नओवर निर्धारित किया जाता है, परन्तु कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जबकि टैक्स की राशि विक्रय मूल्य के योग में शामिल नहीं है। अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान यदि कोई छूट व्यवसायी के कारण दी गई तो निर्धारित कर की राशि के व्यवसायी के कारण दी गई तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जाएगी।

हमने क्षेत्रीय कार्यालयों सतना और शाजापुर और छह सर्कल कार्यालयों⁴¹ में अगस्त 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों और खरीद सूची के रूप में अभिलेखों की जाँच की और पाया है कि आठ डीलरों के आठ प्रकरणों में जून 2010 से दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारित अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण में टैक्स की राशि ₹ 11.95 लाख टर्नओवर में शामिल हुआ मानकर कटौती दी गई। जबकि हमने पाया की टर्नओवर में टैक्स की राशि शामिल नहीं थी इसलिए किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं जानी थी। परिणामस्वरूप कर की गलत कटौती की अनुमति दिए जाने के कारण कर राशि ₹ 11.95 लाख एवं ब्याज/शास्ति राशि ₹ 9.49 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने (अगस्त 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच) कर निर्धारण अधिकारी शाजापुर ने एक प्रकरण में राशि ₹ 75,382 की मांग नवंबर 2012 में जारी की और शेष प्रकरणों में कहा गया कि सत्यापन/परीक्षण उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.15 खरीद कर का अनारोपण

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 धारा 10 (ए) के अधीन प्रत्येक ऐसी व्यवसायी, जो अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किसी वर्ष में ऐसा माल क्रय करता है जिसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है तब वह ऐसे माल के क्रय पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा। सरकार ने अधिसूचना 26 नवम्बर 2009 द्वारा गेहूँ को कर योग्य अधिसूचित किया है।

हमने अगस्त 2013 में इस तरह के आंकलन आदेश, अंकेक्षित खातों और क्षेत्रीय कार्यालय सागर की खरीद सूची आदि के रूप में रिकार्ड की जाँच की और अवधि 2010-11 के लिए अगस्त 2012 में निर्धारित एक डीलर, द्वारा क्रय किया गया गेहूँ ₹ 8.90 करोड़ मूल्य का था जो कि निर्धारित सीमा से ₹ 3.90 करोड़ अधिक था। जिस पर क्रय कर वसूली योग्य था। यद्यपि निर्धारण अधिकारी ने उसे कर मुक्त मान कर निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 15.59 लाख का कर आरोपण नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (अगस्त 2013) किये जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

⁴¹ ग्वालियर, इंदौर, जाओरा, जबलपुर, रीवा और सीहोर